राजस्थान विधान सभा

पंचम सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2010

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

श्रीमती नगेन्द्र बाला, सदस्य, तीसरी एवं पॉचवी राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010--2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1. राज्य में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट, दहेज उत्पीड़न, दहेज के लिये प्रताड़ना, हत्या के लिये धमकी देना व झूंठे आरोपों पर कार्यवाही संबंधी महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का दसवां प्रतिवेदन ;
2. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के द्वारा महिला सैन्ट्रल जेल के आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का ग्यारहवां प्रतिवेदन ;
3. महिलाओं के साथ दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा जान से मारने की धमकी एवं अन्य उत्पीड़न संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का बारहवां प्रतिवेदन ;
4. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय शिशुगृह, बालिका गृह एवं राजकीय कन्या छात्रावास गांधीनगर के दिनांक 18.5.2004 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण से संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का तेरहवां प्रतिवेदन ;
5. जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर के दिनांक 13.10.1999 एवं 26.8.2004 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का चौदहवां प्रतिवेदन ;
6. उत्पीड़ित महिलाओं एवं संस्थाओं की ओर से प्राप्त शिकायतों तथा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रकरणों का निराकरण करवाने संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ;

..2..

7. महिला बन्दीगृह, केन्द्रीय कारागार, जयपुर का आकस्मिक निरीक्षण (दिनांक 13 नवम्बर, 2009) संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का सोलहवां प्रतिवेदन ;

8. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के चतुर्थ प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक सत्रहवां प्रतिवेदन ; एवं

9. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के सप्तम प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक अठारहवां प्रतिवेदन।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

1- श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

I- सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के प्रताप नगर के सार्वजनिक पार्कों की मरम्मत बाबत् ; एवं

II- सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने एवं विद्यालय क्रमोन्नयन बाबत् ।

2- श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

I- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुबारिकपुर (अलवर) में विभिन्न रिक्त पदों को भरने बाबत् ; एवं

II- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुबारिकपुर (अलवर) में वरिष्ठ अध्यापक (पंजाबी) के रिक्त पद को भरने बाबत् ।

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

(I) श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-24)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जाएंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(2) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

(I) श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-25)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जाएंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 1 सितम्बर, 2010